संख्या-30 /2026/ 787/2026-001-27-10002(002)/10/2025-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 15 मई, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद-गाजीपुर, भदोही, गोरखपुर एवं देवरिया सलेमपुर की केन्द्रीय/खण्डीय कार्यशाला के आधुनिकीकरण की 04 परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-891/09-08/सिंचाई कार्यशाला/2026-27/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 30.04.2026, पत्रांक-890/09-08/सिंचाई कार्यशाला/2026-27/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 30.04.2026, पत्रांक-1146/09-08/सिंचाई कार्यशाला/2026-27/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 30.04.2026 एवं पत्रांक-1145/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2024-25/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 30.04.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-गाजीपुर, भदोही, गोरखपुर एवं देवरिया सलेमपुर की केन्द्रीय/खण्डीय कार्यशाला के आधुनिकीकरण की 04 परियोजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4702-101-03-0316-24 ''खण्डीय/सिंचाई कार्यशाला में स्थापित उपकरण एवं संयंत्रों का आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापना'' में प्राविधानित धनराशि में से निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 80,91,000/- (रूपये अस्सी लाख इक्यानबे हजार मात्र) व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का संदर्भ शासनादेश सं0/ दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a)/गठित अनुबंध की लागत (b)	अनुबंधित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध /पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत (7-9)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में	
										अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	नलकूप खण्ड-प्रथम, गाजीपुर में केन्द्रीय कार्यशाला एवं भण्डार गृह का आधुनिकीकरण तथा उपकरणों एवं संयंत्रों आदि के पुनर्स्थापना की परियोजना	94-4702-102-03-0316-24	19.12	98/2025/1544/2025-001-27-10002(002)/10/2025-10, दिनांक 30.10.2025	38.23 (a)/ 32.34 (b)	38.16	0.07	19.11	19.05	94-4702-102-03-0316-24	19.05
2	नलकूप अनुरक्षण खण्ड, भदोही के केन्द्रीय कार्यशाला के आधुनिकीकरण एवं मरम्मत की परियोजना	94-4702-102-03-0316-24	25.66		51.31 (a)/ 43.39 (b)	51.20	0.11	25.65	25.55	94-4702-102-03-0316-24	25.55
3	नलकूप खण्ड-द्वितीय, गोरखपुर के अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यशाला के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0316-24	17.88		35.76 (a)/ 30.00 (b)	35.40	0.36	17.88	17.52	94-4702-102-03-0316-24	17.52

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	नलकूप खण्ड-द्वितीय, देवरिया सलेमपुर के खण्डीय कार्यशाला के उपकरणों व संयंत्रों के पुनर्स्थापना एवं आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0316-24	19.21		38.42 (a)/ 32.20 (b)	38.00	0.42	19.21	18.79	94-4702-102-03-0316-24	18.79
कुल धनराशि											**80.91**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध-

प्रश्नगत परियोजनाओं/मद में पूर्व में निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेश संख्या-98/2025/1544/2025-001-27-10002(002)/10/2025-10, दिनांक 30.10.2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 यथासंशोधित शासनादेश सं0-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 80,91,000 (रुपये अस्सी लाख इक्यानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001020316 खण्डीय कार्यशालाओं में स्थापित उपकरण एवं संयंत्रों का आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या- 30 /2026/ 787(1)/2026-001-27-10002(002)/10/2025-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी/पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, वाराणसी/अयोध्या।
(7) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(8) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(9) नोडल अधिकारी/अनु सचिव, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।